न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या — 04 / 2017

जी.सी.एम.एस. संख्या— 2017 / 00004

सायल **बनाम** **गैरसायल**

सरकार

श्री जोरावरसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. साण्डेराव(मृतक) कायम मुकाम श्री महेन्द्रसिंह गोद पुत्र जोरावरसिंह नि. साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।
2. श्री श्री पीताराम परिहार, विद्वान अभिभाषक गैरसायलान की तरफ से।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973

—:निर्णयः— दिनांक 08-12-2021

1. इस सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी बाली ने उनके निर्णय दिनांक 18.11.1974 से अप्राथी जोरावरसिंह के पास 33.35 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये। तदुपरान्त राजस्व (सीलिंग) विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक प.1(1429) राज / सी / 79 दिनांक 16.6.82 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली का निर्णय दिनांक 18.11.1974 राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अनुसार नहीं हैं और राज्यहित के प्रतिकुल मानते हुए उक्त प्रकरण को रि—ओपन कर राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश पाली को प्राधिकृत कर निर्देश दिये की उक्त प्रकरण को पुनः खोलकर एवं अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस देकर विस्तृत जांच के उपरान्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देवें।

2. जिस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली ने अपने कार्यालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर सीलिंग प्रकरण संख्या 108 / 2001 दर्ज कर अप्रार्थी के कायम मुकाम को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी कायम मुकाम की ओर से श्री रघुनाथसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया। दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 28.05.2004 में गैरसायलान के पास कूल 267 बीघा भूमि धारित मानते हुए निर्धारित सीलिंग सीमा 120 बीघा (चुंकि अप्रार्थीगण की भूमि जवाई कमाण्ड क्षैत्र मे हैं) से अधिक धारित

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

भूमि 147 बीघा भूमि अधिग्रहण योग्य मानते हुए तहसीलदार सुमेरपुर को अधिग्रहण की जाने का आदेश दिया। साथ ही अप्रार्थी महेन्द्रसिंह के द्वारा प्रस्तुत जवाब में उन्होंने पुराने कानून के तहत 83 बीघा भूमि पूर्व में अधिग्रहण करना बताया गया। इस संबंध में तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिये की राजस्व रेकर्ड के अनुसार जांच करें कि क्या पूर्व में अप्रार्थिगणों से 83 बीघा भूमि अधिग्रहण की गई थी या नहीं ? यदी पूर्व में अधिग्रहण करना पाया जाता हैं तो शेष रही 64 बीघा भूमि का अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया।

3. गैरसायल ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के निर्णय दिनांक 28.05.2004 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सीलिंग अपील संख्या 2449/2004 अनवान जोरावरसिंह बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 26.9.2016 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के निर्णय दिनांक 28.5.2004 को अपास्त कर निर्देश दिये की इस बिन्दु को भी निर्णीत किया जावे कि क्या जोरावरसिंह द्वारा महेन्द्रसिंह को गोदनामा से गोद लिया? प्रकरण में दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, किसी भी पक्षकार को अलग से नोटिस जारी नहीं किया जाकर, गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल जोरावरसिंह (मृतक) के कायम मुकाम को न्यायहित में जरिये नोटिस तलब किया गया। दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। गैरसायल के कायम मुकाम की ओर से वकालतनामा पेश किया गया।

5. विद्धान अभिभाषक गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा धारा 10 व 11 सीलिंग अधिनियम की पालना नहीं की गयी और घोषणा पत्र पेश नहीं किया गया। अर्थात गैरसायल के विरूद्ध नियमों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया हैं जो तमाम कार्यवाही निरस्त करने योग्य हैं।

6. साथ ही विद्धान अभिभाषक गैरसायल ने निवेदन किया कि मृतक जोरावरसिंह की पत्नि भूरकंवर हैं तथा इनके दो बालिक पुत्रियां धापकंवर व दरिया कंवर थे। इसके उपरान्त दिनांक 30.08.1962 को मृतक जोरावर सिंह व भूर कंवर ने श्री महेन्द्रसिंह को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के गोद लिया गया। दिनांक 1.1.1973 को महेन्द्रसिंह बालिक था। महेन्द्रसिंह को नये सीलिंग कानून 1973 की धारा 2(1) के अनुसार परिवार की परिभाषा दी गई हैं क्योंकि उतरदाता महेन्द्रसिंह सीलिंग सीमा निर्धारण के समय बालिक था इसलिए भूमिधारी मृतक जोरावरसिंह एवं उतरदाता महेन्द्रसिंह की दो भिन्न–भिन्न यूनिट मानकर सिलिंग सीमा निर्धारण करनी चाहिए थी। मृतक जोरावरसिंह मृतक भूर कंवर द्वारा दिनांक

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

30.08.1962 को रजिस्टर्ड गोदनामा से श्री महेन्द्रसिंह को गोद लिया था उस समय रजिस्टर्ड गोदनामा में श्री महेन्द्रसिंह की उम्र दिनांक 30.8.1962 को 9 वर्ष होना बताई हैं जिसके अनुसार श्री महेन्द्रसिंह दिनांक 01.01.1973 को बालिका होना बताया। इस तरह गोद पुत्र महेन्द्रसिंह को द्वितीय यूनिट मानी जानी चाहीए। अर्थात गैरसायल को दो यूनिट भूमि रखने का कानून हक अधिकार हैं।

7. विद्धान अभिभाषक गैरसायल ने बताया कि मृतक जोरावरसिंह की तमाम भूमि बारानी व जवाई कमाण्ड क्षैत्र से सिचित नहीं हैं। मृतक जोरावरसिंह के कुल 267 बीघा भूमि थी जिसमें दो यूनिट धारक मानते हुए कुल 270 बीघा भूमि रखने के अधिकारी हैं। साथ ही वकील गैर सायल ने अवगत कराया हैं कि गैरसायल के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण निर्धारित किया जाकर गैरसायल से 83 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान किये गये थे। वह भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाकर राज्य सरकार के नाम नामान्तरण तस्दीक किया जाकर, उक्त भूमि अन्य भूमिहीन गरीब आदमीयों को आवंटन की गयी। अर्थात एक बार भूमि अधिग्रहण की जावे तो कानूनन दुसरी बार ओर भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकती है।

8. इसके अलावा विद्धान अभिभाषक गैरसायल ने निवेदन किया की यदी गैरसायल की तमाम भूमि को जवाई कमाण्ड क्षैत्र में मानी जाति हैं तो भी दो यूनिट मानकर कुल 240 बीघा भूमि रखने के अधिकारी हैं अर्थात शेष 27 बीघा भूमि ही अधिग्रहण की जा सकती हैं।

9. प्रकरण में विद्धान अभिभाषक द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही अन्तिम बहस के रूप स्वीकार करने का निवेदन किया।

10. प्रकरण में सायल की ओर से राजकिय अभिभाषक ने अपनी मोखीक बहस मे निवेदन किया कि जमाबंदी संवत 2024 से 2027 व 2028 से 2031 की प्रमाणित प्रतिलिपियो से साबित है कि गैरसायल जोरावरसिंह के पास 267 बीघा भूमि धारण थी। जमांबदी साक्ष्य में एक्जीबीट करवायी गयी है तथा संबंधित पटवारी के बयान के अनुसार भी अप्रार्थी के पास इतनी ही भूमि थी। चूंकि गैरसायल के परिवार मे स्वयं, उनकी पत्नि एवं दो पुत्रिया के अनुसार कुल 4 सदस्य ही थे, जो की सीलिंग निर्धारण में 5 सदस्यों तक एक यूनिट ही मानी जाती हैं।

11. राजकिय अभिभाषक ने निवेदन किया की गोद पुत्र महेन्द्रसिंह की आयु के संबंध में किसी प्रकार का पूख्ता साक्ष्य/सबूत उपलब्ध नहीं होने से उन्हे बालिक नहीं माना जा सकता। अतः नाबालिग गोदपुत्र को सीलिंग कानुन अनुसार इस प्रकार गैरसायल का परिवार एक यूनिट ही हैं।

अति जिला कलक्टर (सी.)
पाली (राज.)

12. साथ ही राजकिय अभिभाषक ने निवेदन किया की ग्राम साण्डेराव जवाई कमाण्ड क्षेत्र का गांव है अतः गैरसायल सीलिंग कानून के अनुसार 120 बीघा भूमि ही धारण करने का अधिकार रखता है। शेष 267–120=147 बीघा भूमि अप्रार्थी के पास अधिक रहती है जो अधिग्रहण करने योग्य है।

13. प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सूनी गई।

14. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.9.2015 द्वारा प्रकरण मे इस बिन्दु जांच करने हेतु की क्या जोरावरसिंह द्वारा महेन्द्रसिंह को गोदनामा से गोद लिया हैं? उक्त बिन्दु की जांच कर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त सीलिंग प्रकरण का अवलोकन किया एवं सम्पूर्ण प्रकरण के संलग्न दस्तावेजों, साक्ष्यों का विवेचन भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए किया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट हैं कि श्री जोरावरसिंह द्वारा महेन्द्रसिंह को गोदनामा से गोद लिया गया था। किन्तु यह भी मान्य हैं कि गोदनामा के वक्त गोद पुत्र महेन्द्रसिंह की आयु के संबंध में किसी प्रकार का पूख्ता साक्ष्य/सबूत उपलब्ध नहीं होने से उन्हे बालिक नहीं माना जा सकता। अतः उक्त गोदनामा अस्वीकार किया जाता हैं।

15. पत्रावली में संलग्न जमांबदी सम्वत 2024 से 2027 व 2028 से 2031 के अनुसार अप्रार्थी जोरावर सिंह के पास ग्राम साण्डेराव में निम्नाकित भूमि खाते में थी–

क्रम संख्या	खाता संख्या	रकबा (बीघा–बिस्वा मे)
1	184	164 बीघा 17 बिस्वा
2	185	78 बीघा (156 बीघा 1 बिस्वा में 1/2 हिस्सा)
3	186	24 बीघा 3 बिस्वा (154 बीघा 18 बिस्वा में 1/6 हिस्सा)
	कुलः–	267 बीघा

उपरोक्तानुसार भूमि की किस्म बारानी एवं सिचित है। ग्राम साण्डेराव जवाईकमाण्ड क्षेत्र में है। गैरसायल द्वारा भूमि जवाईकमाण्ड से सिंचित नही होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये गये। गैरसायल के परिवार के सदस्यों के अनुसार गैरसायल का एक युनिट बनता है जिसके अनुसार गैरसायल 120 बीघा भूमि तक रखने का अधिकारी है। पत्रावली में गैरसायल जोरावर सिंह के कोई पुत्र का उल्लेख नही है। महेन्द्रसिंह ने अपने जवाब में गोदपुत्र होना बताया है। गैरसायल की ओर से महेन्द्र सिंह के गोदनामा के समय बालिग होने के संबंध में कोई पूख्ता साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। सीलिंग कानून के अनुसार नाबालिग गोदीपुत्र का कोई हक नहीं हैं। गैरसायल द्वारा सीलिंग कानून को विफल करने के लिये तथा उक्त सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिये उक्त (गोदनामा) आधार बताये है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

16. गैरसायल के पास उपरोक्तानुसार 267 बीघा भूमि धारित थी। सीलिंग कानून के अनुसार गैरसायल पाली जिले के जवाईकमाण्ड क्षेत्र मे 120 बीघा भूमि रखने का अधिकारी है। शेष भूमि 147 बीघा सीलिंग सीमा से अधिक होने से 147 बीघा भूमि अधिग्रहण की जाने योग्य है।

17. गैरसायल ने अपने बयान में पुराने कानून के अंतर्गत 83 बीघा भूमि पूर्व में अधिग्रहण होना बताया गया है।

18. अतः सीलिंग प्रकरण मे हम निष्कर्ष पर पहुंचे की अप्रार्थी के पास निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक धारित भूमि 147 बीघा अधिग्रहण योग्य रहती है जो अधिग्रहण की जाने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल इस आदेश के 15 दिवस के भीतर भीतर अपना विकल्प पत्र तहसीलदार सुमेरपुर को पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को भेजकर लेख है कि व गैरसायल से विकल्प पत्र प्राप्त होने पर 147 बीघा भूमि अधिग्रहण करे। गैरसायल से निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्राप्त नहीं होने पर गैरसायल के परिवार के सदस्यों के पास धारित भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण किया जावें। गैरसायल के जवाब में बताया कि पुराने कानून के तहत 83 बीघा भूमि पूर्व में अधिग्रहण करना बताया गया है। अतः तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में राजस्व रेकर्ड के अनुसार जांच करे की क्या पूर्व में 83 बीघा भूमि अधिग्रहण कर ली गयी थी या नही? अगर पूर्व में अधिग्रहण करना पाया जाता है तो शेष रही 64 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जावे और 83 बीघा भूमि पूर्व मे अधिग्रहण करना नही पाया जाता हैं तो 147 बीघा भूमि अधिग्रहण करे। अगर गैरसायल के पास भारमुक्त भूमि अधिग्रहण करने योग्य कम है तो भारमुक्त भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात पश्चातवर्ती क्रम मे हस्तान्तरित की गयी भारमुक्त भूमि अधिग्रहण की जावें।

आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 08-12-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)